

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2010

सा.का.नि. 282(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2010 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होगा।

2. विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में खंड 3 के परन्तुक में मद (xix) के बाद निम्नलिखित मद अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

“(xx) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड”

[फा. सं. पी-11013/13/2007-वितरण]

अपूर्व चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश दिनांक 5 जून, 2000 के सा.का.नि. 519(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 30 जून, 2000 के सा.का.नि. 576(अ), दिनांक 30 जून, 2000 के सा.का.नि. 578(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2001 के सा.का.नि. 856 (अ), दिनांक 2 जुलाई, 2002 के सा.का.नि. 470(अ), दिनांक 4 जुलाई, 2006 के सा.का.नि. 404 (अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 के सा.का.नि. 743(अ), दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के सा.का.नि. 689(अ), दिनांक 29 मई, 2009 के सा. का.नि. 382(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2009 के सा.का.नि. 561(अ) और दिनांक 19 नवम्बर, 2009 के सा.का.नि.835(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 26th March, 2010

G.S.R. 282(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, namely:—

1. (1) This Order may be called the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Amendment Order, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, in clause 3, in the proviso, after item (xix), the following item shall be inserted, namely:—

“(xx) Reliance Industries Limited”

[F. No. P-11013/13/2007-Dist.]

APURVA CHANDRA, Jt. Secy.

Note.—The principal Order was published *vide* number G.S.R. 519(E), dated 5th June, 2000 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 576 (E), dated 30th June, 2000, G.S.R. 578(E), dated 30th June, 2000, G.S.R. 856(E), dated 21st November, 2001, G.S.R. 470(E), dated 2nd July, 2002, G.S.R. 404(E), dated 4th July, 2006, G.S.R. 743(E), dated 7th December, 2006, G.S.R. 689(E), dated 1st November, 2007, G.S.R. 382(E), dated 29th May, 2009, G.S.R. 561(E), dated 30th July, 2009 and G.S.R. 835(E), dated 19th November, 2009.